प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 रिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

Tele Phone No:-01371-237093
Fax No:-01371-237093
Email ID:-
eepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांक 212 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/चि0सौड/वन भूमि दिनांक 23 फरवरी, 2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादरी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग (2.20 किमी0) के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/32670/2018)

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र सं0–8वी/यू0सी0पी0/06/19/2020/एफ0सी0/1169, दिनांक 04/09/2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में विन्दुवार आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही हैं।

क0सं0	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	मान्य
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	मान्य
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरणः—</u> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथारांशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पौधारोपण स्कीम की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।	मान्य
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्यासित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	मान्य
5	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्यः—</u> (क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.89 हे0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 132 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	मान्य
7	State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	मान्य

PTO

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित किये जायेंगे।	मान्य
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	मान्य
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	मान्य
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	मान्य
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	मान्य
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक सिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	मान्य
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मान्य
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	मान्य
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	मान्य
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 02–02 प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/वनभूमि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटवंगला, उत्तराकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोक धाम खाण्ड़ मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त की वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल कर निर्धारित कोष में जमा कराया जाएगा।

17/03/2021

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोक धाम खाण्ड़ मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बादसी गौलोक धाम खाण्ड़ मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग (लम्बाई 2.200 किमी0) के निर्माण के पश्चात जहां–जहां पर सम्भव हो सके, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation (पथ वृक्षारोपण) किया जायेगा।

AE-II

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

17/13/2024

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

शर्त संख्या :– 11

परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोक धाम खाण्ड़ मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 11 के अनुपालन में यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।

17/03/2021
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
चिन्यालीसौड़।